नि - 2749-II/16

न्यायालय में श्रीमान् [redacted] महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

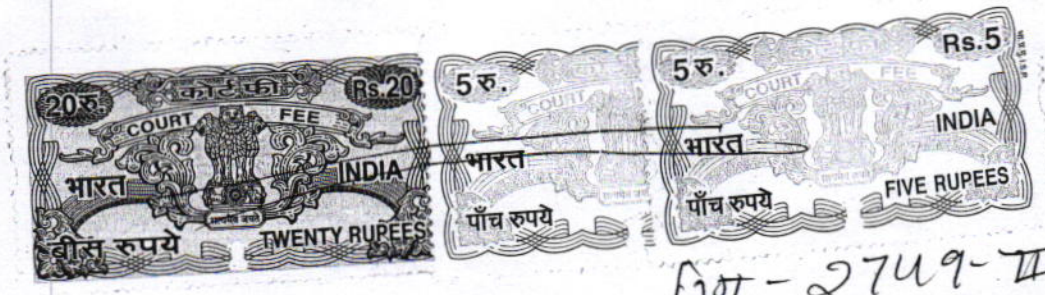

म0प्र0

श्रीमती मालती पटेल पति श्री भालचन्द पटेल निवासी–ग्राम बोडरी, तहसील सोहागपुर, थाना सिंहपुर, जिला–शहडोल म0प्र0 ....आवेदिका

बनाम

... पटेल उम्र 42 वर्ष, पिता स्व0 रामाधार पटेल निवासी–ग्राम बोडरी, तहसील सोहागपुर, थाना सिंहपुर, जिला–शहडोल म0प्र0 ....प्रतिवादीगण

निगरानी विरूद्ध अंतरिम आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) अनुविभाग सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0 के रा.प्र.73/अपील/2015–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–06–2016 के विरूद्ध (जिसके तहत अनावेदक के धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के आवेदन को विधि विरूद्ध स्वीकार किए जाने से उद्भूत)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदिका/निगरानीकर्ता निम्नानुसार निगरानी पेश कर प्रार्थी है :–

संक्षेप में माले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोडरी, तहसील सोहागपुर, जिला–शहडोल म0प्र0 अंतर्गत स्थित आराजी खसरा नं. 312 जुज रकवा 0.121 हे., खसरा नं. 313 जुज रकवा 0.202 हे. एवं खसरा नं. 292 जुज रकवा 0.607 हे. कुल कित्ता 03 कुल रकवा 0.930 हे. भू–राजस्व 0.50/– रूपये के भूमिस्वामी अनावेदक के पिता रामाधार पटेल थे। प्रश्नगत आराजी का नामांतरण जरिये नामांतरण पंजी क्रमांक 106 आदेश दिनांक 24–08–1988 को आवेदिका के नाम पर अनावेदक के पिता रामाधार पटेल के द्वारा कराया गया था। नामांतरण पंजी में रामाधार पटेल के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर बने हुए है। रामाधार पटेल ने प्रश्नाधीन आराजी का आवेदिका के पक्ष में नामांतरण कराकर विधिवत कब्जा दखल आवेदिका को सौंप दिए थे। तदनुसार आवेदिका आज पर्यन्त तक उपरोक्त आराजी में विधिवत् काबिज

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2749-दो/2016 जिला शहडोल मालती विरूद्ध अमरनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

11.02.19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.02.19
सदस्य